





न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सु० न० ३३/१९

तारीखरजू:- 21.6.19

उनवान:- श्यामसुन्दर बनाम मोहन वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
6/9	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार खडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया है। अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.07.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>	<p>2259-60 21/6/19</p>
16.7.19	<p>प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा A.N.V. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2 बाबजूद सूझा उप० नही है। P.O. को दोर पर पधारे हैं आइन्दा दि० 28.8.19 को पेश हो गइल।</p>	
28.8.19	<p>वकालतनामा उप०। अप्रार्थी नं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी नं. 1 का जबाब पेश किया। जबाब की प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की। बाले बहस दिनांक 26.8.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
26.8.19	<p>प्रार्थी की ओर से श्री विष्णु कुमार खडवोकेट ने उपस्थित होकर आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश करने का कथन किया। अप्रार्थी वकील उप० P.O. को आकाश पर पधारे हैं गतानुसार दिनांक 2.9.19 को पेश हो गइल।</p>	<p>102</p>
2.9.19	<p>प्रार्थीगण की ओर से श्री विष्णु कुमार खडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वकील अभयपस ने कथन किया कि मूल दावा तकासमा का प्राथमिक डिब्बी हो चुका है दावा के फाइनल डिब्बी होने तक रिकार्ड एवं प्रोसे की प्रयासिते बनोये रखने के लिए अभयपस को वाकन्त फरमा दिया जावे। वकील अभयपस ने यह कथन कर</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>103</p> 


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक

फर्द अहकाम

आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। वकील  
उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का इवलोकन  
किया। दावा के फाइनल डिक्ली होने तक उभयपक्ष को  
रिकार्ड एवं मोक्रे की यथास्थिति बन्द रखने के लिए  
पाबन्द किया जाना उचित पाता हूँ।

ज्ञातः उभयपक्षकारान को दावा के निस्तारण  
होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता  
है कि ग्राम टोडाभीम बिल्वा 09 स्थित भूमि खसरा  
नम्बर 6180 रकबा 0.01 है, 6181 रकबा 0.42 है, -  
7088/7531 रकबा 0.2 है, 7089 रकबा 0.33 है,  
पर तथा ग्राम टोडाभीम बिल्वा 11 स्थित भूमि खसरा  
नम्बर 2270 रकबा 0.56 है, 2271 रकबा 0.20 है,  
2272 रकबा 0.01 है, 2273 रकबा 0.65 है, पर  
रिकार्ड एवं मोक्रे की यथास्थिति बन्द रखें। पत्रावली  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल  
दफ्तर है।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)